[कार्यालय:2557153
निवास : 2557378
फैक्स : 2557153

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल

श्री व्ही.एस.मित्तल
जिला पंजीयक
मुख्यालय, भोपाल

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1655/तक/03
भोपाल, दिनांक 28/6/03

विषयः—औद्योगिक पट्टों के संशोधन पत्रों के फलस्वरूप हो रही स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अपवंचन को रोकने बाबत् ।

म.नि.पं. कार्या. का पत्र क्र.2623/एक/तक/01 दि.18.9.01,129/एक/तक 02 दि. 14.1.02 तथा 252 तक/03 दि. 5.2.2003

कृपया पार्श्व में अंकित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । इनके द्वारा आपसे अपने जिले में पिछलें 5 वर्षो में पंजीबद्ध पट्टे के संशोधन के सभी दस्तावेजों की सूची बनाकर जिला उद्योग केंद्रों तथा ए.के.व्ही.एन. कार्यालयों की जांच कर भवनों/फैक्ट्रियों के ऐसे अंतरणों पर स्टाम्प शुल्क नही चुकााया गया है साथ ही इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी इस कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये गये थे। आपके द्वारा निरंक जानकारी भेजी गई है ।

कृपया एक बार आप पुनः जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों से संबंधित अभिलेख की छानबीन कर लें । ताकि कोई प्रकरण ऐसा न रहे जिसमें कि विक्रय फैक्ट्री/भवन का भी हुआ हो, किंतु स्टाम्प शुल्क केवल भूमि के पट्टे के दस्तावेज पर मिला हो । आपकी सुविधा के लिए इन प्रकरणों की छानबीन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी जा रही है —

1. कृपया सर्वप्रथम उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुए पट्टे के संशोधन के दस्तावेजों की सूची तैयार करें। इनके आधार पर जिला उद्योग केन्द्र अथवा ए.के.वी.एन, जैसी भी स्थिति हो, में जाकर उक्त से संबंधित संशोधन की अनुज्ञा संबंधी अभिलेखों की जांच करें । जांच में प्रमुख रूप से यह देखना है कि कहीं ऐसा तो नही है कि वास्तव में फैक्ट्री/भवन काविक्रय हुआ है, किंतु दस्तावेज केवल पहले संशोधन कर स्टाम्प शुल्क का अपवंचन किया गया है । आप भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 के अधीन कलेक्टर की लिखित अनुमति से ऐसी जांच कर सकते हैं ।

2. इन दस्तावेजों का स्वरूप फैक्ट्री/भवन के बिकी के अनुबंध पत्र, भागीदारी विलेख आदि का रहता है । कभी—कभी विक्रय के अनुबंध पत्र

में फैक्ट्री/भवन के कब्जे का उल्लेख नही रहता है,किंतु पृथक से कब्जा देने के दस्तावेज लगे रहते हैं । इन मामलों में अनुबंध पत्र तथा कब्जा देने वाला दस्तावेज दोनों मिलकर कब्जा सहित क्रय के अनुबंध बनाते हैं, जिस पर हस्तांतरण पत्र की दर से शुल्क देय होता है । नस्तियों में मूल दस्तावेज होने पर इन्हे स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के अधीन परिबद्ध कर फैक्ट्री/भवन के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क वसूलने की कार्यवाही करें । यदि मूल दस्तावेज अभिलेखों में न हो तो इनकी प्रतिलिपि के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 48 (ख) के अधीन कार्यवाही करें ।

3. यह भी ध्यान रखें कि उक्त छानबीन आपके द्वारा स्वयं की जाये। किसी भी स्थिति में यह कार्य उप पंजीयक पर न छोडे ।

उक्तानुसार कार्यवाही कर जानकारी कृपया महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय को आवश्य रूप से एक सप्ताह में भेजा जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
हस्ता
व्ही.एस.मित्तल

प्रति,
श्री ....
जिला पंजीयक
(मध्यप्रदेश)